(281)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण

निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2017/3600

1. रामप्रसाद पुत्र मुनुवा बसोर
2. रामकिशोर पुत्र मुनुवा बसोर

निवासीगण चंदला तह. चंदला जिला छतरपुर

3. विधा बेवा स्व. श्यामलाल बसोर
4. संतोष 5. सुदामा 6. दीपक

पुत्रगण श्यामलाल ना.ब. सरपस्त मां विधा बेवा श्यामलाल निवासी वार्ड नं. 5 छतरपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

मुकेश भार्गव एड. द्वारा आज दि. 29-9-17 को प्रस्तुत

क्लर्क आफ कोर्ट 29-9-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
29-9-17 एडवोकेट
ग्वालियर
C 12 4.10.17

विरूद्ध

गुरूवा पुत्र परदिशिया बसोर

निवासी चंदला तह. चंदला जिला छतरपुर

.... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्र.कं. 132/अपील/10–11 में पारित आदेश दिनांक 15.9.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3600

रामप्रसाद विरूद्ध गुरूवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 132/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 15-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 12-3-19 (आर.के.जैन) सदस्य	